भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1093
गुरुवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

'डिजियात्रा' ऐप का कार्यान्वयन

1093. श्री बृजेन्द्र सिंहः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यात्रियों के लिए हवाई यात्रा के अनुभव को सरल बनाने में 'डिजियात्रा' ऐप के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'डिजियात्रा' ऐप के प्रयोक्ताओं की डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए उपाय मौजूद हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस ऐप का उपयोग करने वाले यात्रियों के डेटा के लीक होने संबंधी संभावित जोखिमों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): हवाईअड्डों पर यात्रियों को निर्बाध प्रवेश की सुविधा के लिए डिजी यात्रा मोबाइल एप्लिकेशन एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यात्री आधार का उपयोग करके ऐप पर अपने सत्यापन योग्य परिचय दर्ज कर सकते हैं। यात्रीगण डिजियात्रा की सुविधा पाने के लिए अपने बोर्डिंग पास अपलोड कर सकते हैं। चूँकि इसमें पहचान स्थापित करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करते हुए एक कागज रहित और संपर्क रहित प्रणाली शामिल है, डिजी यात्रा के उपयोग ने हवाईअड्डों पर विभिन्न चेक बिंदुओं पर तेजी से यात्री प्रसंस्करण को सक्षम किया है।

(ख) से (घ): डिजियात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (डीवाईसीई) डिजाइन द्वारा गोपनीयता के मूलभूत सिद्धांतों पर बनाया गया है और इसमें यात्री की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) डेटा का कोई केंद्रीय भंडारण नहीं है। यात्री का सारा डेटा यात्री के स्मार्टफोन वॉलेट में संग्रहीत होता है और इसलिए यह यात्री के नियंत्रण में होता है। डेटा को मूल हवाई अड्डे के साथ साझा किया जाता है जहां यात्री आईडी को विधिमान्य करने की आवश्यकता होती है और उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटे के बाद इसे हवाईअड्डे के सिस्टम से हटा दिया जाता है। यह डेटा हानि, चोरी और लीक के मामलों को कम करने में सहायता करता है।

******